SEMESTER – II

(Social and Political dynamics of Democracy)

CC – 09

CONTEMPORARY INDIA

(2019 - 2021)

E-Content 2

- Unit – III : Topic
  - A. Caste and Politics in Contemporary India.

Vetted by :

प्रो0 (डॉ0) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9835463960

डॉ0 विद्यानंद विधाता

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9472084115

भेदभाव एवं असमानताओं के लिए उपचार

परिवर्तन के लिए प्रतिबन्ध के साथ जाति व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं, प्रत्येक जाति के लिए आबद्ध नागरिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों में एक जाति का दूसरी जातियों के अधिकारों से ''बलकृत बहिष्करण'' निहित है। नागरिक, सांस्कृतिक एवं विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों में जैसे व्यवसाय एवं श्रम रोजगार में बहिष्करण एवं भेदभाव, अतः व्यवस्था के लिए आन्तरिक है और इसकी मूल विशेषताओं का एक आवश्यक परिणाम है। चूंकि प्रत्येक जाति के अधिकार आबद्ध एवं आवश्यक है, अतः जाति की संस्था में एक जाति के अधिकारों का दूसरी जाति के अधिकारों से ''बलकृत बहिष्करण'', अन्तर्ग्रस्त है। यह पहचानना आवश्यक है कि आर्थिक अधिकारों का असमान एवं संस्तरणात्मक आवंटन भले ही व्यवसाय एवं विकास की स्वतन्त्रता को निश्चित रूप से प्रतिबन्धित करता है जिससे अन्तर्जातीय असमानताएं उत्पन्न होती हैं यह उनमें वंचना एवं गरीबी आवश्यक रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः यदि प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, उसके आवंटित व्यवसाय में आजीविका के यथोचित स्रोतों/संसाधनों तक पहुँच हो तो वंचना परिहार्य है। फिर भी निम्न जातियों, विशेष रूप से अस्पृश्यों के दृष्टान्त में, जहॉ तक उन्हें शारीरिक श्रम, जिसमें वे आवंटित व्यवसाय आते हैं जिन्हें अपवित्र करने वाला एवं निम्न माना जाता है तथा अपने से ऊपर की जातियों की सेवा के अतिरिक्त आजीविका के सभी स्रोत अस्वीकार कर दिए जाते हैं, बहिष्करण उनको वंचना एवं गरीबी की ओर ले जाता है। अतः उनके बहिष्करण के अनेक आयाम होते हैं, और साथ ही यह व्यापक हैं तथा एक सामाजिक समूह के रूप में उनकी कठोर वंचना इसका परिणाम होता है। उसके अतिरिक्त अस्पृश्यता के व्यवहार के कारण अस्पृश्य

सामाजिक एवं आवासीय पृथक्करण, पार्थक्य को भी झेलते हैं। शुद्धता/अशुद्धता की अवधारणा उनके प्रति भेदभाव एवं बहिष्करण में एक अतिरिक्त आयाम ले आती है और एक से अधिक पहलुओं में उन्हें मानव सामथर्य एवं क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं से और अधिक पृथक कर देती हैं।

अतः जाति–आधारित, बहिष्करण एवं भेदभाव में न केवल आर्थिक अधिकारों, वरन् नागरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की असफलता आवश्यक रूप से निहित है। इसमें वह निहित है जिसे जीवन निर्वाह पद्धति बहिष्करण, राजनीतिक, सहभागिता से बहिष्करण तथा सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों से बहिष्करण एवं उनसे वंचित रहना के रूप में विवेचित किया गया है (यूनाइटेड नेशन्स, 2004)। इस प्रकार का बहिष्करण निम्नलिखित स्वरूपों को धारण कर सकता हैः

(अ) आर्थिक क्षेत्र में समान अवसरों का बहिष्करण एवं अस्वीकृति निश्चित रूप से बाजारी एवं गैर/बाजारी कार्यवाही के माध्यम से क्रियाशील होंगे। प्रथमतः इस प्रकार के बहिष्करण को नौकरी में रखने की अस्वीकृति के माध्यम से श्रम बाजारों में, पूंजी तक पहुॅच की अस्वीकृति के माध्यम से पूंजी बाजारों में, भूमि को बेचने/खरीदने/पट्‌टे पर देने के अधिकार की अस्वीकृति के माध्यम से कृषि (भूमि) बाजारों में, निवेश–कारकों के विक्रम एवं क्रय की अस्वीकृति के माध्यम से निवेश बाजारों में तथा माल एवं उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय एवं क्रय में अस्वीकृति के माध्यम से उपभोक्ता बाजारों में, व्यवहार में लाया जा सकता है।

(ब) नागरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अस्पृश्य सार्वजनिक सेवाओं, जैसे सार्वजनिक मार्ग, मन्दिरों, जलाशयों, चराई एवं सामान्य उपयोग के लिए भूमि के उपयोग में भेदभाव एवं बहिष्करण का सामना कर सकते हैंः संस्थाओं, चाहे

सार्वजनिक/सरकारी अथवा वैयक्तिक, दाति सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुॅच में भी भेदभाव एवं बहिष्करण का सामना कर सकते हैं।

(स) राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्य राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग एवं निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता में भेदभाव का सामना कर सकते हैं।

(द) अस्पृश्यता की धारणा के कारण उत्पन्न भौतिक पार्थक्य एवं सामाजिक बहिष्करण के कारण उन्हें सामान्य सामाजिक बहिष्करण भी झेलना पड़ सकता है।

अम्बेडकर ने, बहिष्करण एवं भेदभाव से उत्पन्न वंचना, विशेष रूप से अस्पृश्यों की, एवं भारतीय समाज में संरचनात्मक असमानाओं के उपचार हेतु सुझााव देने के लिए, काफी बौद्धिक प्रयास भी समर्पित किया। अम्बेडकर के उपागम के उपागम के उद्विकास में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए वर्तमान नीतियों के विकास काल की ओर जाना आवश्यक है, जिनके लिए 1920 के दशक से ही अम्बेडकर ने व्यवस्थित बौद्धिक प्रयास किए थे।

1919 में अपने प्रयत्नों को प्रारम्भ करके उन्होंने 1930, 1940 एवं 1950 के दशकों में व्यवस्थित प्रयासों से अपने उपचार के पुंज को गहन एवं पुष्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1919 के सुधार के समय जनवरी 1919 में साउथ बोरो कमेटी को प्रस्तुत किए गए अपने पहले वक्तव्य में अम्बेडकर ने अपने तर्कों का व्यवस्थित सन्धियोजन किया। लगभग एक दशक बाद अम्बेडकर ने दो वक्तव्य प्रस्तुत किए–पहला मई 1928 में साइमन कमीशन को एवं दूसरा 1930 में पहली राउण्ड टेबल कॉन्फरेंस में। उन्होंने अपना निर्णायक वक्तव्य– ''स्टेट एण्ड माइनोरिटीज–व्हाट आर देयर राइट्स एण्ड हाउ टू सिक्योर दैम इन द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'' (राज्य एवं अल्पसंख्यक–इनके अधिकार क्या हैं और

स्वतंत्र भारत के संविधान में उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है)– 1947 में भारत के संविधान के निर्माण के समय दिया था। यह वक्तव्यः भारतीय समाज की समस्याओं तथा विशेष रूप से अस्पृश्यों एवं सामान्य रूप से भारतीय समाज के वंचित भागों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपचार के विषय में अम्बेडकर के चिन्तन के उद्विकास के अन्तर्गत निश्चित ही अन्तर्दृष्टियाँ प्रदान करते हैं। अपने बौद्धिक प्रयोग में ये दस्तावेजः हिन्दू समाज को व्याधि एवं अस्पृश्यों को समान अवसर नकारने के विरूद्ध अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित उपचारों को समझने के लिए बुनियादी हैं (अम्बेडकर, 1919, 1928, 1930, 1946)।

उपयोगी पुस्तक

1. एस.एम.माइकल, आधुनिक भारत में दलित : दृष्टि एवं मूल्य
2. प्रसन्न कुमार चौधरी एवं श्रीकान्त, बिहार में दलित आंदोलन 1912–2000